न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 03/2017 अपील/बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 23.02.2017
निर्णय दिनांक– 17.07.2019

1. श्रीमती सोहनबाई पुत्री प्यारा जी खटीक निवासी कोटडी, अरनोद जिला प्रतापगढ़ हाल मुकाम भाट पिपलिया (मध्यप्रदेश)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनबाई पुत्री प्यारा जी खटीक निवासी कोटडी, अरनोद जिला प्रतापगढ़ हाल मुकाम मुकडेश्वर (मध्यप्रदेश)
2. मु0 हीराबाई बेवा श्री प्यारा जी खटीक निवासी कोटडी, अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)
3. तहसीलदार, अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)
4. बालू पिता कालिया खटीक निवासी कोटी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
5. ग्राम पंचायत कोटडी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री तारेश्वर मोड : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सत्यप्रकाश व्यास : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2
श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अभिभाशक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
के प्रकरण संख्या 08/2012 निर्णय दिनांक 24.01.2017

निर्णय

दिनांकः 17.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोदा के प्रकरण संख्या 08/2012 निर्णय दिनांक 24.01.2017 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2017 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कोटडी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ की विवादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता श्री प्यारा पिता कालिया के नाम दर्ज थी, जिसे अपीलान्ट

Web Copy - Not Official

द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से अपने नाम दर्ज करवा लिये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है एवं वे उनके विधिक वारिस होने से उक्त भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.01.2017 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं अपीलान्ट को श्री प्यारा का विधिक वारिस मानते हुए उक्त नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रश्नगत आराजी में अपीलान्ट सं. 1 व 2 तथा रेस्पोंडेंट सं. 1 के साथ 1/2 हिस्से में 1/3 – 1/3 हिस्से में नाम राजस्व रिकार्ड में पुनः नामान्तरकरण तस्दीक कर दर्ज करने पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता श्री सत्यप्रकाश व्यास तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान निर्णय में भूमि का विभाजन का भी निर्णय कर गंभीर कानूनी त्रुटी की है। अपीलान्ट के पक्ष में मृतक ने मृत्यु से 6 वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया था एवं पंजीकृत विक्रय के विद्यमान होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उसे नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण की प्रारम्भ से जानकारी थी, फिर भी 6 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर त्रुटीपूर्ण निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने पिता के जीवनकाल में 6 वर्ष तक कोई आपत्ति नहीं की। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने का प्रमाणनन हुए बिना निर्णय पारित किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। भूमियॉ संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं थी। प्यारा की मृत्यु के समय, उसके द्वारा भूमियों का विक्रय कर दिये जाने के कारण कोई भूमि शेष ही नहीं थी, तो फिर रेस्पोडेन्ट द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में अपील

पेश किया जाना विधिक रूप से निरर्थक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटीपूर्ण होने से अपास्त किया जाये।

इसके विरूद्ध वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय औचित्यपूर्ण होकर तथ्य एवं कानून सम्मत है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाये।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया, तो यह पाया कि प्रकरण में विवादित मूल नामान्तरकरण संख्या 809 में प्यारा से विक्रय के आधार पर सोहनबाई के नाम नामान्तरकरण संख्या 809 निर्णय दिनांक 20.04.2006 निर्णित हुआ। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक अपील इस आधार पर पेश की कि विवादित आराजीयात पैतृक होकर दादा कालिया जी के समय से चली आ रही है तथा विवादित भूमियों में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का बराबर का हिस्सा है, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्थात् इस प्रकरण के अपीलान्ट द्वारा अपने पिता प्यारा की बीमारी एवं वृद्धावस्था का फायदा उठाकर विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में अपने निर्णय दिनांक 24.01.2017 से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को भी भूमि में अपीलान्ट के साथ अधिकारी मानते हुए नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश देकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को उनके संयुक्त 1/2 हिस्सा मानकर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा विनिश्चित किया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई। प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रमुख रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसरण में प्रकरण मानते हुए मृतक प्यारा द्वारा अपीलान्ट को पंजीकृत विक्रय होते हुए भी भूमि को प्यारा के पिता कालिया के समय की होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट को भी भूमियों का अधिकारी माना। प्रकरण में वस्तुतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 को प्रभावी माने जाने के लिये भूमिया कोपार्सनरी की होना जरूरी है। कोपार्सनरी सम्पति होने के लिये भूमिया 4 पीढ़ी पूर्व की होनी चाहिये, अर्थात् प्रकरण में यदि भूमिया प्यारा के दादा के समय की होना प्रमाणित होता है तो भूमियों में उसकी पुत्रीया उसके जीवनकाल में अपना

हिस्सा क्लेम कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिया प्यारा के पिता कालिया की होना प्रमाणित है अर्थात् भूमिया प्यारा को अपने पिता से प्राप्त होना तक प्रमाणित है, भूमिया प्यारा के पिता कालिया से पूर्व की होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात् प्रकरण में प्यारा को भूमिया उसके पिता कालिया से प्राप्त हुई है, जो स्पष्टतया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 से ही शासित होंगी, जब तक कि यह प्रमाणित हो जाये कि प्यारा को प्राप्त भूमिया कालिया को उसके पिता से प्राप्त नहीं हुई हो। प्रकरण में भूमिया कालिया से पूर्व की होना की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमियों को धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होना मानना, प्रथम दृष्टया उपलबध साक्ष्यों से परे है। प्रकरण में विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्रियों (2005 के बाद) का हक धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तभी बनेगा, जब विवादित सम्पतियॉ कोपार्सनरी (4 पीढ़ी पूर्व की) होना प्रमाणित हो, यदि सम्पतियॉ पिता को अपने पिता (पोतो के दादा) से प्राप्त होती है तो सम्पतियों का विरासती हक पिता को ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्राप्त होगा, क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप पुत्र उपलब्ध होने पर सम्पति किसी अन्य अनुसूची में पोत्रों तक devolve नहीं होगी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उपरोक्त विवेचना अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों से परे जाकर विधि विरूद्ध किया गया निर्णय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र में पिता के विधिक अधिकारों को निषेध मानने के लिये साक्ष्यों का उचित विश्लेषण नहीं कर, उसे विक्रय से निराधार निरूद्ध किया है, जो उचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को साक्ष्यों से परे जाकर विधि विरूद्ध निर्णय होने से अपास्त करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करते है।

निर्णय आज दिनांक 17/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official